भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 182
उत्तर देने की तारीख-21/07/2025

विद्यालय के नामांकन में गिरावट

†182. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2018-22 और 2023-24 के बीच विद्यालयों के नामांकन में 1.55 करोड़ छात्रों की महत्वपूर्ण गिरावट, जैसाकि शिक्षा के सभी स्तरों और सरकारी तथा निजी दोनों विद्यालयों में देखा गया है, को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नामांकन में और अधिक गिरावट को रोकने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं और इन राज्यों को दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) इस गिरावट के मूल कारणों जैसे सामाजिक-आर्थिक कारकों, प्रवासन अथवा विद्यालयों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन और इस अवधि के दौरान विद्यालयों में नामांकन में आई गिरावट के बीच कोई संबंध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 में स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना, समग्र शिक्षा, को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक की पूरी शिक्षा शामिल है। इस योजना को नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरुप भी बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

यूडाईज+ पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक सरकारी स्कूलों में कुल नामांकन संख्या 13,11,13, 434 थी। वर्ष 2023-24 में यह 12,42,56,425 थी। एनईपी **2020** की सिफारिशों के आधार पर**,** वर्ष **2022-23** से यूडाइज+ को पुनर्जीवित किया गया है ताकि व्यक्तिगत विद्यार्थी-वार डेटा एकत्र किया जा सके और विद्यार्थियों की रजिस्ट्री बनाई जा सके। वर्ष **2022-23** से सकल नामांकन डेटा से लेकर व्यक्तिगत विद्यार्थी डेटा तक**,** डेटा संग्रह के तरीके में पूरी तरह से बदलाव आया है। इससे पिछले वर्षों के डेटा की तुलना सांख्यिकीय रूप से भिन्न/अपूर्ण हो जाती है।

समग्र शिक्षा योजना का एक प्रमुख लक्ष्य स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर और स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) की संख्या को कम करना है। इस योजना में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने और उन्हें सुदृढ़ बनाने; स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण करने; कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन करने; नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना; निःशुल्क यूनिफार्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन एवं प्रतिधारण अभियान चलाने क प्रावधान शामिल है।

इसके अलावा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु-अनुरूप प्रवेश के विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से और आवासीय तथा गैर-आवासीय अपेक्षाकृत बड़े बच्चों के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूल शिक्षा ढाँचा के दायरे में लाने के लिए मौसमी छात्रावासों या आवासीय शिविरों, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और परिवहन/मार्गदर्शन सुविधाओं का प्रावधान भी उपलब्ध है।

सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित 16-19 वर्ष की आयु समूह के स्कूल न जाने वाले बच्चों को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी करने, पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 2000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

योजना के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र-उन्मुख घटक के अंतर्गत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन के लिए वित्तीय सहायता, सहायक सामग्री और उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को वृत्तिका आदि प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधान के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में अध्ययनरत स्कूल न जाने वाले बच्चों के अधिगम अंतराल को पाटने के लिए ब्रिज कोर्स मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

पीएम-पोषण योजना के तहत, प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर छात्रों के लिए विभाग के अंतर्गत एक और पहल मिड-डे मील है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को आठवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने से रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

इस विभाग ने प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा चिन्हित स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) के आंकड़ों को संकलित करने और उन्हें प्रबंध पोर्टल (http://samagrashiksha.in) पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ मैप करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी विकसित किया है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ओओएससी को मुख्यधारा में लाने की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य के संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र द्वारा अपलोड की गई चिन्हित ओओएससी और एसटीसी की बालक-वार सूचना को अधिमान्य करता है।

समीक्षा बैठकों, राष्ट्रीय कार्यशालाओं और निर्देशों आदि में, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल न जाने वाले बच्चों (ओओएससी) की संख्या कम करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री स्तर पर संप्रेषण के माध्यम से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे स्कूल प्रबंधन समितियों की पूर्ण और सक्रिय भागीदारी तथा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के साथ "बच्चों को स्कूल वापस लाएँ" अभियान में भाग लें।

एनईपी के कार्यान्वयन से स्कूलों में बच्चों के नामांकन और अधिगम परिणामों में वृद्धि होने की संभावना है।

****